भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 994
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्टार्ट अप

994. श्री संजय काका पाटील:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम, नासिक और सांगली में अंगूर, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों के लिए घरेलू खाद्य उद्योगों को सुविधाजनक बनाने अथवा विकसित करने की कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार किसानों की आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए घरेलू कृषि उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए स्टार्ट-अप को विकसित करने के लिए धनराशि अथवा राजसहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी योजनाओं, नामतः प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) और प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा दे रहा है/सुविधा प्रदान कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की उप-योजना ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिले का आम के लिए जबकि नासिक, पुणे और सांगली जिलों का अंगूर के लिए पात्र उत्पादन समूह के रूप में पहचान की गई है ।

कोंकण क्षेत्र से आम के लिए रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले और अंगूर के लिए सांगली को भी पीएमएफएमई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के उत्पादों के रूप में चुना गया है।

(ख) और (ग): समय-समय पर प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं और नए उद्यमी/स्टार्ट अप सहित पात्र संस्थाएं संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार ईओआई के समय आवेदन जमा कर सकते हैं । ईओआई के जवाब में प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है और पात्र परियोजना लागत के 35-50% की दर से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, जो संबन्धित योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन होता है ।

पीएमएफएमई योजना के तहत ओडीओपी उत्पादों के लिए सामान्य अवसंरचना के सृजन के लिए 35-50% की दर से निर्धारित अधिकतम सीमा तक क्रेडिट –लिंक्ड सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए पूंजी निवेश और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है

*****